



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 जेष्ठ, 1942 (श०)

संख्या- 233 राँची, मंगलवार,

2 जून, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

8 मई 2020

संख्या-5/आरोप-1-67/2017 का०-2268-- श्री दीपांकर पाण्डा, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-466/03, गृह जिला- रामगढ़), के विरुद्ध इनके मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची नगर निगम, राँची के पद पर कार्यावधि से संबंधित नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3619, दिनांक 05.06.2017 द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

उक्त के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग से विभागीय अर्द्ध सरकारी पत्रांक-7517, दिनांक 27.06.2017 द्वारा श्री पाण्डा के विरुद्ध आरोप प्रपत्र-‘क’ की माँग की गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-1734, दिनांक 23.03.2018 द्वारा श्री पाण्डा के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध दिनांक 13.12.2013 से 15.01.2015 तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची नगर निगम की पदावधि के दौरान श्री मो0 असलम सईद, पता-अपूर्व एण्ड एसोसिएट, सतह तल्ला, आश्रिता कम्पलेक्स, क्लब रोड, राँची द्वारा दिनांक 12.03.2013 को एम0एस0 प्लॉट नं0-625, 626, 627 खाता नं0-296 रकबा-736 कड़ी पर अपार्टमेंट निर्माण हेतु नक्शा पारित करने संबंधी भवन प्लान वाद सं0-BP02/2013/281 में श्री विष्णु कुमार बुधिया द्वारा दी गई आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए दिनांक 29.07.2013 को नक्शा स्वीकृत करने एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं (ii) का पालन नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-2862, दिनांक 02.05.2018 द्वारा श्री पाण्डा से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री पाण्डा के पत्रांक-3203, दिनांक 31.07.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री पाण्डा द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) श्री विष्णु कुमार बुधिया द्वारा दिया गया आपत्ति पत्र निगम के आगत पंजी के क्रमांक-7334 दिनांक 09.06.2013 पर अंकित है एवं इस पत्र पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर दिनांक 20.06.2013 को अंकित है। उक्त पत्र दिनांक 20.06.2013 को श्री कमल किशोर सिंह देव, डायरी सहायक, नगर निगम शाखा को प्राप्त करा दिया गया, परन्तु श्री देव का स्वास्थ्य शाखा में स्थानान्तरण के फलस्वरूप उनके प्रतिस्थानी श्री गोंदिया उराँव को संबंधित आपत्ति पत्र श्री देव द्वारा दिनांक 31.10.2014 अर्थात् एक वर्ष चार महीने बाद हस्तगत कराया गया। इसी कारण आपत्ति को संज्ञान में लिये बिना दिनांक 29.07.2013 को नक्शा स्वीकृति हो गया।

(ii) नक्शा स्वीकृति संबंधी आदेश पत्रक में कहीं भी श्री बुधिया के आपत्ति पत्र का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि उपस्थापित अभिलेख में संबंधित सहायक द्वारा उक्त आपत्ति पत्र संलग्न नहीं किया गया था।

(iii) विविध वाद सं0-27/2014 में 17.12.2015 को तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित किया गया है कि शिकायत पत्र को अभिलेख में ससमय उपस्थापित नहीं करने के फलस्वरूप नक्शा की स्वीकृति प्रदान कर दिया गया।

(iv) अपर नगर आयुक्त एवं नगर निवेशक की संयुक्त रूप से गठित समिति द्वारा संयुक्त प्रतिवेदन में निम्नांकित निष्कर्ष अंकित किया गया है- “इस तरह प्रथम द्रष्टया प्रश्नगत आवेदन को अनधिकृत रूप से दिनांक 25.06.2013 से 31.04.2014 तक अपने पास रखने के लिए श्री कमल किशोर सिंह देव दोषी प्रतीत होते हैं।”

(v) एक ओर जहाँ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 03.02.2017 को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा प्रशासी विभाग से की गई है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जाँच सं0-पी0ई0-17/15 दिनांक 14.07.2015 तथा पी0ई0-30/15 दि0 09.10.2015 में पुलिस निरीक्षक श्री शंकर कामती, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची द्वारा दिनांक 17.01.2017 को समर्पित अंतिम जाँच प्रतिवेदन में निम्नांकित मंतव्य दिया गया है- “श्री बुधिया के शिकायत पत्र को दबाकर रखने के कारण ही तदेन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत भवन प्लान की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए निगम कर्मि श्री कमल किशोर सिंह देव आपराधिक कृत के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेवार एवं दोषी हैं।”

श्री पाण्डा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6610, दिनांक 29.08.2018 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग से मंतव्य की माँग की गई। इसी क्रम में, नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के ज्ञापक-2953 दिनांक 31.10.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें कहा गया कि भवन प्लान वाद सं0-281/2013 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता का पत्र भवन प्लान के स्वीकृति के पूर्व/स्वीकृति के समय मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित नहीं किये जाने के कारण भवन प्लान पर स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य माना जा सकता है।

नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के मंतव्य पर नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-1445, दिनांक 01.04.2019 द्वारा विभागीय सहमति संसूचित की गई।

श्री पाण्डा के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत, श्री दीपांकर पांडा, तत्कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची नगर निगम, राँची को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान
सरकार के संयुक्त सचिव ।
